

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-16/2016-

184(आवंटन)/कृ., पटना, दिनांक 17-02-2017

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/प० चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णिया/किशनगंज/अररिया/कटिहार/खगड़िया।

विषय :

वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से सामान्य वर्ग के लिए 132.60 करोड़ रु० (एक अरब बत्तीस करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹19,05,00,000 (उन्नीस करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3117 दिनांक-18.07.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से सामान्य वर्ग के लिए 132.60 करोड़ रु० (एक अरब बत्तीस करोड़ साठ लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹19,05,00,000 (उन्नीस करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹19,05,00,000 (उन्नीस करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़-सुखाड़ की अपातकालीन योजना विपत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5683 विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

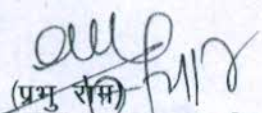
3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

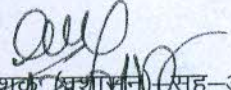
5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. मुख्य सचिव बिहार, पटना के निदेशानुसार जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आवंटित किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्णरूपेण समर्पित नहीं किया गया है। उन्हें राशि उपआवंटित नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

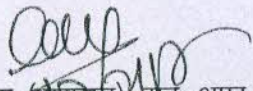

(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 184 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 17-02-2017
प्रतिलिपि : ट्विटरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. ट्विटरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 184 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 17-02-2017

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बागवानी, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्प) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 184 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 17-02-2017
प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

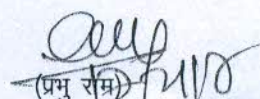
बिहार सरकार

कृषि विभाग

वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकलीन स्थिति उत्पन्न होने के अंतर्गत सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत राशि का विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3117 दिनांक-18.07.2016 द्वारा सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।
विपत्र कोड-P2401001090103 (राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।	11,36,41,800	-	11,36,41,800
2	जिला पदाधिकारी, पटना।	3,02,97,200	2,50,00,000	5,52,97,200
3	जिला पदाधिकारी, नालन्दा।	5,02,64,510	2,70,00,000	7,72,64,510
4	जिला पदाधिकारी, भोजपुर।	2,12,26,200	-	2,12,26,200
5	जिला पदाधिकारी, बक्सर।	1,79,95,800	-	1,79,95,800
6	जिला पदाधिकारी, रोहतास।	3,39,30,000	-	3,39,30,000
7	जिला पदाधिकारी, भभुआ।	1,92,45,000	-	1,92,45,000
8	जिला पदाधिकारी, गया।	2,55,07,200	-	2,55,07,200
9	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।	1,46,57,000	50,00,000	1,96,57,000
10	जिला पदाधिकारी, अरवल।	67,27,200	20,00,000	87,27,200
11	जिला पदाधिकारी, नवादा।	1,47,67,200	50,00,000	1,97,67,200
12	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।	2,58,72,600	-	2,58,72,600
13	जिला पदाधिकारी, सारण।	2,32,69,800	50,00,000	2,82,69,800
14	जिला पदाधिकारी, सिवान।	2,65,48,018	1,50,00,000	4,15,48,018
15	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।	2,45,84,460	-	2,45,84,460
16	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	4,88,07,000	2,50,00,000	7,38,07,000
17	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	3,27,46,800	-	3,27,46,800
18	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	2,78,90,400	1,00,00,000	3,78,90,400
19	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	2,04,96,850	50,00,000	2,54,96,850
20	जिला पदाधिकारी, शिवहर।	2,47,29,000	-	2,47,29,000
21	जिला पदाधिकारी, वैशाली।	1,51,18,800	60,00,000	2,11,18,800
22	जिला पदाधिकारी, दरभंगा।	1,83,53,400	50,00,000	2,33,53,400
23	जिला पदाधिकारी, मधुबनी।	2,49,60,600	-	2,49,60,600
24	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर।	2,36,06,405	2,20,00,000	4,56,06,405
25	जिला पदाधिकारी, बेगुसराय।	1,69,66,200	50,00,000	2,19,66,200
26	जिला पदाधिकारी, मुंगेर।	74,35,200	60,00,000	1,34,35,200
27	जिला पदाधिकारी, लखीसराय।	77,19,000	-	77,19,000
28	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा।	56,02,200	-	56,02,200
29	जिला पदाधिकारी, जमुई।	98,77,800	-	98,77,800
30	जिला पदाधिकारी, भागलपुर।	1,63,03,800	-	1,63,03,800
31	जिला पदाधिकारी, बाँका।	1,58,78,400	35,00,000	1,93,78,400
32	जिला पदाधिकारी, सहरसा।	1,51,59,000	1,00,00,000	2,51,59,000
33	जिला पदाधिकारी, सुपौल।	1,73,41,800	-	1,73,41,800
34	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।	1,53,93,600	40,00,000	1,93,93,600
35	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	2,05,38,000	50,00,000	2,55,38,000
36	जिला पदाधिकारी, किशनगंज।	1,34,07,600	-	1,34,07,600
37	जिला पदाधिकारी, अररिया।	1,82,64,600	-	1,82,64,600
38	जिला पदाधिकारी, कटिहार।	1,59,56,400	-	1,59,56,400
39	जिला पदाधिकारी, खगड़िया।	1,24,67,455	-	1,24,67,455
कुल		89,35,54,298	19,05,00,000	1,08,40,54,298

कुल- (उन्नीस करोड़ पाँच लाख रु०) मात्र।


(प्रभु रंजन)
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।